तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाबूराम बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) सू.अ.अ.अपील सं0 43 / 2023 (ऑनलाईन नं. 353874774146140)	
05.02.24	अपीलार्थी पाबूराम पुत्र कालूराम निवासी ग्राम पोस्ट हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.09..2023. में उसके द्वारा (1) राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 11 / एससी एसटी ओबीसी ईडब्लूएस / आ.प्र.प. / सान्याअवि / 12 / 14358 / जयपुर दिनांक 25.03.2021 में प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु पत्र कमांक एफ 11 / एससी एसटी ओबीसी ईडब्लूएस / जा. प्रत्रपत्र / सान्याअवि / 21 / 14359–14560 जयपुर दिनांक 25.03.2021 को आवश्यक कार्यवाही हेतु बिन्दु 14 के अनुसार भेजा गया उस पत्र या अधिसूचना की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 1395 दिनांक 08.12..23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था जिससे प्रार्थी को वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं हो`सका। रिपोर्ट में आगे बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक अपील के संदर्भ में चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांकः उखअबि / सूचना अधिकार / 2023 / 1118 दिनांक 07.12.2023 के द्वारा प्रार्थी को निःशुल्क प्रेषित कर दी गई है। चूंकि अपीलार्थी [illegible] को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त [illegible] होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:13:33 IST
Reason: Self Attested